

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.22(1)न्याय / 19

जयपुर, दिनांक: 19.07.2019

:: आज्ञा ::


राजस्थान विधि सेवा के निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों के रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य संपादन करने का स्थान/विभाग	विशेष विवरण
1.	मोहनलाल गुप्ता	उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद
2.	हिमांशु शर्मा	वरिष्ठ विधि अधिकारी दिल्ली-मुम्बई-इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर विभाग, उद्योग भवन, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।	रिक्त पद
3.	रामशरण मोदी	सहायक विधि परामर्शी, सी.ए.डी., शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री गुप्ता के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद का
4.	विजय कुमार जैन	उप विधि परामर्शी श्रम विभाग, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, गृह (गुप-11) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद
5.	बनवारी लाल गुप्ता सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी राजस्थान राज्य निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	रिक्त पद
6.	हंसराम टाटीवाल	कनिष्ठ विधि अधिकारी उपायुक्त प्रशासन, वाणिज्य कर विभाग (जोन-2), जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर	रिक्त पद
7.	विनोद कुमार डाबी	कनिष्ठ विधि अधिकारी आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	रिक्त पद

आज्ञा से

19-7-19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना अविलम्ब कर विभाग को अवगत करावें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


19-7-24

संयुक्त शासन सचिव